



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:—एफ28(05)परावि/प्रशा-2/ग्राविअ/भर्ती-2025/75409/पार्ट 2/

जयपुर, दिनांक:—

:: आदेश ::

सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के राजकाज पत्रांक 19501803 दिनांक 19.12.2025 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती- 2025 में सफल घोषित किये गये कुल 850 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 167) पदों के विरुद्ध लगभग 2 गुना 1995 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत बोर्ड द्वारा अन्तिम परिणाम जारी कर दिया गया था। इसके उपरांत बोर्ड द्वारा HI श्रेणी के 4 पद रिक्त होना अवगत कराया गया एवं इन पदों के विरुद्ध 20 अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची विभाग को प्रेषित की गई है। उक्त 20 अभ्यर्थियों को ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Scrutiny Form) भरवाये जाने तथा दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जाँच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। **उक्त सूची पूर्णतया अस्थायी अनन्तिम (Purely Provisional) है।** दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जाँच के पश्चात् पात्र पाये गये HI श्रेणी के अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वरीयता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म पंचायती राज विभाग की वेबसाइट www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर मय आवश्यक दस्तावेज ऑफलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें।

सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की दस्तावेजों का सत्यापन एवं पात्रता की जाँच दिनांक 14.10.2026 को प्रातः 10:00 बजे से इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में किया जावेगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जाँच हेतु पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। **दिनांक 14.10.2026 को यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 16.10.2026 को प्रातः 10:00 बजे से इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। दस्तावेज सत्यापन हेतु अनन्तिम (Provisional) रूप से सूचीबद्ध 20 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर अनुसार सूची संलग्न है।**

पात्रता की जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दें:—

1. समस्त अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2025 के लिये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।



2. अभ्यर्थी ऑफलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म मय समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति 02 सेट एवं 100 रुपये मूल्य का पोस्टल आर्डर (सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम) अपने साथ लावें।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र एवं 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. अभ्यर्थी अपना ई-आधार जिसमें QR-Code अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें।
5. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति (संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित क्रमानुसार) संलग्न करें।
6. अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर), 2024 में प्राप्त अंकतालिका की प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें। उक्त प्रति अभ्यर्थी की स्वयं की SSO ID से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
7. जिन अभ्यर्थियों का नाम एवं पात्रता जांच हेतु NTSP क्षेत्र एवं TSP क्षेत्र के दोनों सूचियों में चयन हुआ है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय NTSP क्षेत्र एवं TSP क्षेत्र में से कोई एक का चयन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. **विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश संलग्न है।**
9. दस्तावेज सत्यापन हेतु विभागीय नोडल अधिकारी, दूरभाष नम्बर, Website एवं कार्यालय के पते आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

नोडल अधिकारी	श्रीमती सविता राठौड़, संयुक्त आयुक्त पं.रा.वि. जयपुर मो. 9928827982
सहायक नोडल अधिकारी	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, प्रशासनिक अधिकारी, पं.रा.वि., जयपुर मो.. 9414221422
Website	rssb.rajasthan.gov.in rajpanchayat.rajasthan.gov.in
कार्यालय पता	पंचायती राज विभाग राजस्थान, शासन सचिवालय जयपुर।
दस्तावेज सत्यापन स्थान	इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
दिनांक एवं समय	14.10.2026 / प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक

संलग्न:-

1. सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची
2. चेक लिस्ट
3. विभिन्न शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का प्रारूप
4. अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश की प्रति बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. श्रीमती सविता राठौड़, संयुक्त आयुक्त (नोडल अधिकारी), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी, संयुक्त निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, प्रशासनिक अधिकारी (सहायक नोडल अधिकारी), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- रक्षित पत्रावली।





Direct Recruitment of Village Development Officer 2025
Meritwise List of Provisionally Shortlisted Candidate's for Document Verification

NON SCHEDULED AREA

S.NO.	RANK	APPNO	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	F_CAT	H_CAT	TSP	NETTOT
1	277007	202546116842	466285	HITESH KUMAR	ANNA RAM	25-10-1996	MALE	MBC		HI	No	77.8261
2	279553	202545834192	205138	OM PRAKASH SOLANKI	JAGDISH PRASAD SOLANKI	23-11-1990	MALE	OBC		HI	No	77.337
3	279653	202546093936	554579	SATYANARAYAN JAT	RAM CHANDRA JAT	12-04-1986	MALE	OBC		HI	No	77.3188
4	280027	202545513702	184976	MANISH KUMAR SHARMA	LALIT KUMAR SHARMA	02-07-1986	MALE	GEN		HI	No	77.2464
5	280195	202545923147	615919	BABU LAL GURJAR	KANHAIYA LAL GURJAR	10-03-1988	MALE	MBC		HI	No	77.2101
6	280485	202545599606	558920	RAJARAM JAT	SUKH LAL JAT	30-09-1987	MALE	OBC		HI	No	77.1558
7	280507	202545783658	411957	PRAKASH KUMAR BISHNOI	RAM LAL VISHNOI	01-07-1996	MALE	OBC		HI	No	77.1558
8	281002	202545708016	307645	SURENDER KUMAR	HANUMAN PARSAD	04-07-1986	MALE	OBC		HI	No	77.0471
9	281026	202545577687	229264	MANISH KUMAR	HET RAM	16-08-1996	MALE	OBC		HI	No	77.0471
10	282440	202545936500	465252	DAULAT RAM	BHANWAR LAL	04-07-1994	MALE	OBC		HI	No	76.7572
11	285591	202545513536	204900	TANU KUMARI	SAMUNDRA SINGH	20-09-2000	FEMALE	SC		HI	No	76.087
12	287564	202545728404	281644	PREM SINGH	JAGDISH SINGH	02-07-1996	MALE	EWS		HI	No	75.6884
13	288233	202545583216	443254	SARMA	BHANWAR LAL JANGU	06-08-1995	FEMALE	OBC		BLV HI	No	75.5616
14	288555	202545628584	549454	SATISH KUMAR	JAYANTI LAL	27-05-2000	MALE	OBC		HI	No	75.5072
15	289030	202546006450	289898	MANISH KUMAR	RAM AVATAR	07-07-1994	MALE	OBC		HI	No	75.3986
16	290177	202545819011	623273	KAVITA NETAR	BANSHI LAL	20-05-2004	FEMALE	OBC		HI	No	75.163
17	291062	202545752098	262734	GOVIND SINGH VAISH	BABULAL RAJPUT	15-07-1999	MALE	EWS		HI	No	74.9638
18	292368	202545564756	629607	PRINCI JINDAL	MAHAVEER JINDAL	01-07-2000	FEMALE	EWS		HI	No	74.692
19	292372	202546052081	307258	ROHIT KUMAR	MAHENDER SINGH	18-01-2001	MALE	OBC		BLV HI	No	74.692
20	292838	202545771827	269032	PRIYANSHI KULSHRESTHA	BRIJMOHAN KULSHRESTHA	29-06-2001	FEMALE	GEN		HI	No	74.5833



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2025

अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नत्थीबद्ध करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

ऑफलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र (Detailed Form Cum Scrutiny Form) में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर, दो प्रतियों में (मय 100 रुपये पोस्टल आर्डर सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम) प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्व-हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियां निम्नानुसार नत्थीबद्ध की जानी है:-

1. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता सत्यापन हेतु सम्पूर्ण अंकतालिकाएं (वर्षवार/सेमेस्टर वाईज)/प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रति/जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो/सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र)। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण-पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
5. दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार) की जाँच हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व-हस्तलिखित पैराग्राफ की प्रति साथ लावें।
6. विस्तृत आवेदन में चस्पा की जाने वाली फोटो एवं मूल आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर, मूल आवेदन में किये गये हस्ताक्षर के समान होने चाहिए।
7. अन्य प्रमाण पत्र- (इनमें से जो लागू हो)

- A. विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें पति का नाम स्पष्टतः अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति-पत्नी की कोई संयुक्त आई.डी./राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई.डी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें पति-पत्नी होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupma Tailor
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.10.09 14:55:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24732065

M e-Sign



- B. परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति-पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करें।
- C. निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का हो, की प्रति।
- D. अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र (प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां)
- E. अंतिम नियमित रूप से अध्ययनरत् विद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति। (मूल प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लाना है)
- F. हस्तलिपि- बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार (स्वयं प्रमाणित) (प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिपि प्रपत्र एवं दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति)
- G. शपथ पत्र (नोटेरी से सत्यापित)- दस्तावेज स्वयं द्वारा जाँच कर अपलोड करवाये जाने/एवं फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में। (प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र एवं दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति)
- H. विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
8. अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल-निवास व विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें तथा नाम में वर्तनी/स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
9. अभ्यर्थी पात्रता जाँच हेतु ऑफलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आवें।
10. अभ्यर्थियों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र मय संलग्नकों एवं मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिशः कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

XXXXXXXX

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupma Tailor
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.10.09 14:55:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24732065

M e-Sign